शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–906 / पांच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः: दिनांकः 21 अप्रैल, 2020**

विषयः–राजकीय एवं निजी ब्लड बैंको में रक्त की उपलब्धता के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्री, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या जेड–28015/25/2019–बीसी (एन0एच0एम0) दिनांक 16 अप्रैल, 2020 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि आपातकालीन परिस्थितियों में राजकीय एवं निजी ब्लड बैंको में रक्त की उपलब्धता आवश्यक है। कोविड–19 के कारण लगाये गये अति आवश्यक प्रतिबन्धों के कारण रक्तदान शिविरों का आयोजन संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि, इसी के साथ–साथ विशेष रूप से थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे रक्त विकारों और हीमोफिलिया आदि में नियमित रक्त की आवश्यकता वाले लोगों के लिए रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कोविड–19 की समस्या को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैः–

1. रक्तदान की अपील हेतु स्थानीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों एवं स्थानीय मीडिया चैनलों द्वारा प्रकाशित व प्रसारित की जा सकती है।
2. रक्तदाताओं के रिकॉर्ड को बनाए रखने के साथ ही ब्लड की उपलब्धता/स्टाक की स्थिति के बारे में रियल टाईम जानकारी प्रदान करने हेतु ई रक्तकोष पोर्टल को प्रोत्साहित किया जाय। रक्तदाताओं को ई–रक्तकोष पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जाय। राज्य के समस्त ब्लड बैंकों को भी ई–रक्तकोष पोर्टल पर नियमित रूप से रक्त की उपलब्धता को अद्यतन किए जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
3. किसी भी क्षेत्र में रक्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रक्तसंग्रह एवं परिवहन वैन (बी0सी0टी0बी0) के संचालन अथवा किराए के वाहन की व्यवस्था कर सकते हैं। स्थायी व मोबाईल रक्तदान सत्र हेतु निर्धारित समय में आवश्यकतानुसार शिथिलता भी प्रदान की जाय। रक्तदान में सामाजिक दूरी (Social distancing) का पालन भी सुनिश्चित कराया जाय।
4. सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं को उनकी सुविधा हेतु आवश्यक पास भी निर्गत किये जायें ताकि रक्तदान हेतु आने–जाने में उन्हें कोई कठिनाई न हो। साथ ही इस नाजुक घड़ी में रक्तदान करने वाले व्यक्तियों को उनके प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रमाण–पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. रक्तदाताओं के चयन हेतु एन0बी0टी0सी0 के पत्र संख्या DO No.-S-12016/56/2020-NACO(BS) दिनांक 25.03.2020 द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन का पालन करते हुए जोखिम वाले रक्तदाताओं को निषेध किया गया है, का संज्ञान लिया जाय। (छायाप्रति संलग्न)
6. समस्त रक्तकोषों में स्वैच्छिक रक्तदान मुख्यतः एकीकृत रक्तदान के द्वारा किया जाय जिससे कि रक्तकोषों में रक्त की उपलब्धतता बनी रहे तथा रक्त व्याधि यथा थैलीसिमिया, सिकल

Pankaj/GO/COME-3

सेल एनिमिया एवं हीमोफीलिया के मरीजों को आवश्यकतानुसार रक्त उपलब्ध कराया जा सके।

7. Infection Prevention and Personal Protection हेतु रक्तदान कराने से पहले एवं बाद में हाथ को सैनिटाइज करना, डोनर काउच को प्रत्येक रक्तदान के पश्चात सैनिटाइज करना, रक्तदाता को छूने वाले क्षेत्रों को पोंछना, स्टराईल ब्लड कलेक्शन सेट का उपयोग करना, ब्लड डोनेशन से पूर्व आर्म को एन्टीसेप्टिक क्लीनजर से तैयार करना आदि जिससे किसी भी संक्रमण से बचाव किया जा सके।
8. चिकित्सालय जहाँ थैलीसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चिकित्सालयों पर iron chelating agents व anti-haemophilia factors की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा थैलीसिमिया अथवा हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति द्वारा बीमारी का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दिखाने पर चिकित्सालय आवागमन की अनुमति प्रदान की जाय जोकि सम्बन्धित चिकित्सालय के यात्रा हेतु ही मान्य होगी।
9. रक्तकोषों के सुचारू संचालन हेतु रक्तकोष में कार्यरत कर्मियों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

2— अतएव उपरोक्त बिन्दुओं के संबध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि यह सुनिशचित किया जाए कि मण्डल/जनपद अंतर्गत राजकीय/निजी ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता निरन्तर बनी रहे जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लाया जा सकें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–906(1) /पांच–5–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

20.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

906/पंच-5-2020

डॉ हर्ष वर्धन
Dr Harsh Vardhan
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्री, भारत सरकार
Union Minister for Health & Family Welfare, Science & Technology and Earth Sciences
Government of India

PM-JAY

जय विज्ञान
जय अनुसंधान

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas

सत्यमेव जयते

D. O. LR No. Z-28015/25/2019-BC (NHM)

Dated April 16, 2020

Dear Shri Jai Pratap Singh Ji,

At the outset, I would like to appreciate the hard work being done by your team under your able leadership in effective management of COVID-19.

2. You would agree that availability of blood in the blood banks, both public and private, for addressing various exigencies and emergencies is essential. We are also cognizant of the situation that due to restrictions, it may not be possible to organize blood donation camps. However, at the same time, it is necessary to ensure sufficient availability of blood, especially for people needing regular blood transfusion on account of blood disorders such as Thalassemia, Sickle Cell Anemia and Hemophilia etc.

3. Keeping in view the present peculiar situation due to COVID-19, I shall be grateful if the following measures, *inter alia*, are taken to ensure adequate availability of blood in the blood banks, namely: -

(a) Appeal for Blood donation from Hon'ble Chief Minister and yourself may be published in local dailies and telecast and broadcast in local media channels.
(b) Use of e-Raktkosh portal as a single point for maintaining records of donors as well as providing real-time information on status of current stocks of each blood group may be encouraged. The prospective blood donors may be asked to register on the portal. Blood Banks in your state may also be directed to update blood availability in the e-Raktkosh portal regularly.

संजय
.../04/2020

कार्यालयः 348,ए–स्कंध, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 • **Office**: 348, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi - 110011
Tele.: (O): +91-11-23061661, 23063513 • **Telefax** : 23062358• **E-mail** : hfwminister@gov.in, hfm@gov.in
निवासः 8, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली – 110011 • **Residence**: 8, Tees January Marg, New Delhi - 110011
Tele.: (R): +91-11-23794649• **Telefax** : 23794640

(c) States may make necessary arrangements for sending blood collection and transportation vans or any other hired vehicles, to maintain adequate availability of blood in an area.

(d) States may adopt flexible timings and may also like to extend the hours of fixed and mobile donor sessions. It may be suggested to donors to come in a staggered manner for blood donation and social distancing norms are maintained.

(e) All voluntary donors may be given passes for smooth movement and such donors donating blood during this critical time may be given Special Certificates.

(f) Extra safety measures should be taken at the Blood Donation Centers, pertaining to infection prevention and personal protection such as regular hand washing, wiping down donor-touched areas, using sterile collection sets for every donation and preparing the arm with an aseptic cleanser.

(g) Assured availability of iron chelating agents and anti-hemophilia factors at hospitals, where Thalassemic and Hemophilic patients avail the services, may also be ensured.

With regards

Yours sincerely,

Harsh

(Dr. Harsh Vardhan)

Shri Jai Pratap Singh
Minister of Health & F.W
Government of U.P.
Lucknow
Uttar Pradesh - 226001